ग्राम पंचायत अजौली, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के लेखाओं का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023
भाग-1

1 (क) प्रस्तावना:-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत अजौली, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के लेखाओं का प्रथम अंकेक्षण कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया |

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत अजौली में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे :-

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री संदीप कुमार	01.04.2021 से 31.03.2023

पंचायत सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमती सर्वजीत कौर	01.04.2021 से 30.09.2021
2.	श्रीमती सुरजीत कौर	01.10.2021 से 31.03.2023

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत अजौली, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के लेखाओं अवधि 01.04.21 से 31.03.23 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से था :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1)	4 (घ)	रोकड़ बही व बैंक खातों में अन्तर	0.10
2)	6.1	अनुदान उपयोग हेतु शेष	25.25
3)	7.1 (क)	पंचायत राजस्व गृहकर की वसूली शेष	0.09
4)	7.2	मोबाईल टावर शुल्क वसूली हेतु शेष	0.05
5)	7.3	विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा न करवाना	0.09
6)	8.1	स्त्रोत पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करना	0.35
7)	8.2	आपूर्तिकर्ता के बिलों से रॉयल्टी की कटौती न करना	0.05

भाग-2

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत अजौली, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के अवधि 01/04/21 से 31/03/23 तक के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण सर्व श्री देव राज व अश्वनी कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षकों द्वारा दिनांक 14.12.2023 से 18.12.2023 तक ग्राम पंचायत अजौली के कार्यालय में किया गया | आय व्यय की विस्तृत जांच हेतू मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया :-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2021-22	03/2022	01/2022
2022-23	04/2022	06/2022

"इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है | उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतू हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा"

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत अजौली, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के अवधि 01/04/21 से 31/03/23 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹6400/- आंका गया | उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतू अंकेक्षण अधियाचना संख्या 352/2023 दिनांक 18/12/2023 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत अजौली द्वारा काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित अजौली के बैंक ड्राफ्ट संख्या KAA 611304 दिनांक 19/12/2023 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया |

4 **(क) वित्तीय स्थिति:-**

सचिव, ग्राम पंचायत अजौली द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 339/2023 दिनांक 14.12.2023 के प्रत्युतर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 04/21 से 03/23 के लेखाओं की संकलित वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी, जिसका विस्तृत विवरण **सलंग्न परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है | ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि दौरान दो रोकड़ बहियों अर्थात् स्व स्त्रोत व अनुदान (Online)(15वां वित्तायोग सहित समेकित) व मनरेगा (Online) का रख-रखाव किया गया था |

संकलित वित्तीय स्थिति

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	**वर्ष**	**प्रारम्भिक शेष (₹)**	**आय ब्याज सहित (₹)**	**कुल योग (₹) (3+4)**	**व्यय (₹)**	**अंतिम शेष (₹) (5-6)**
1	2021-22	1680606.61	8185662.71	9866269.32	5583445.61	4282823.71
2	2022-23	4282823.71	4182450	8465273.71	5940394	2524879.71

(ख) बैंक समाधान विवरणी :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत अजौली के अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31.03.23 को निम्नानुसार रोकड़ बही तथा बैंक खातों में अन्तर **₹9907.29** था :-

1)	दिनांक 31.03.23 को रोकड़ बही खाता पैरा 4(क) का अंतशेष	2524879.71
2)	दिनांक 31.03.23 को बैंक का अन्तशेष **(परिशिष्ट क-1)**	**2534787.00**
3)	दिनांक 31.03.23 को हस्तगत राशि	0.00
4)	**योग (2+3)**	**2534787.00**
5)	**अन्तर (1-4)**	**9907.29**

दिनांक 31.03.23 को बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है (परिशिष्ट क-1) :-

क्रम संख्या	**बैंक का नाम**	**खाता संख्या**	**राशि (₹)**
1	KCCB Ajouli (own & GIA)	20114027720	457364.00
2	KCCB Ajouli (GIA)	50051658082	530844.00
3	KCCB Ajouli	20114013648	17372.00
4	KCCB Ajouli (MMAY)	50065673424	1420.00
5	UNION BANK Ajouli (14th Fc)	538502010014272	914.00
6	UNION BANK Ajouli (15th FC)	538502050000394	1464349.00
7	UNION BANK Ajouli (BMC)	538502050000349	62524.00
		योग	**2534787.00**
		हस्तगत राशि	0.00
		योग (1+2)	**2534787.00**

(ग) खाता बहियों का रख-रखाव न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 के अनुसार पंचायत को खाता बहियों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों में लेखांकित आय–व्यय के सम्बन्ध में नियमानुसार खाता बहियां नहीं बनाई गई | खाता बहियाँ नहीं बनाए जाने के कारण प्राप्त अनुदानों और स्वयं स्त्रोत की आय-व्यय को अलग-अलग नहीं किया जा सका। अतः भविष्य में उक्त नियमानुसार खाता बहियों का रख-रखाव किया जाए तथा वांछित कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

(घ) रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करने के कारण ₹0.10 लाख का अन्तर :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायत की रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है | जबकि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.23 को स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित) शीर्ष की रोकड बही एवं बैंक के अंतिम शेष में **₹9907.29** का अन्तर पाया गया | अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 343/2023 दिनांक 15/12/2023 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 195 दिनांक 18/12/2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त अन्तर की राशि के कारणों बारे अभिलेख से जाँच पड़ताल करने के उपरान्त आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा | अतः अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए |

5 सावधिक निवेश :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 339/2023 दिनांक 14.12.2023 की अनुपालना में पंचायत सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 193 दिनांक 18/12/2023 द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार पंचायत का अवधि 04/21 से 03/23 तक सावधि जमा योजना में निवेश शून्य था | अत: पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्वयं स्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बहियों का

अलग-अलग रख-रखाव करके, स्वयं स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

6 अनुदान

6.1 अनुदान ₹25.25 लाख उपयोग हेतु शेष :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है । पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 339/2023 दिनांक 14.12.2023 के प्रत्युतर में प्रस्तुत सूचना जोकि **(परिशिष्ट क)** पर सलंग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2023 तक अनुदान में (स्वः स्त्रोत सहित) प्राप्त राशियों में **₹**2524879.71 की राशि उपयोग हेतू शेष थी | ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतू प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय करना अपेक्षित है। अत: ऐसे अनुदान जिनकी विहित अवधि समाप्त हो चुकी हो, तो इसका कारण स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है | इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 339/2023 दिनांक 14.12.2023 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 193 दिनांक 18/12/2023 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतू प्रस्तुत कर दिए जाएंगे | अतः अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना शीघ्र अंकेक्षण को दिखाई जाए।

6.3 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 339/2023 दिनांक 14.12.2023 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या 193 दिनांक 18/12/2023 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नही हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरांत मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है यह एक अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता| अत: अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सकता कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे | अतः उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

स्वयं स्त्रोत

7.1.1 (क) पंचायत राजस्व गृहकर ₹0.09 लाख की वसूली हेतु शेष :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर / गृहकर की वसूली करना अपेक्षित था | पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 339/2023 दिनांक 14.12.2023 के क्रम संख्या 5 के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या 193 दिनांक 18/12/2023 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2023 तक पंचायत राजस्व गृहकर ₹9000/- **(परिशिष्ट ख अनुसार)** वसूली हेतू शेष थी :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2021-22	131160	24480	155640	151380	4260
2022-23	4260	24880	29140	20140	9000

अतः गृहकर की राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

ख) हि० प्र० पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 और 77 के अनुसार फार्म 10 पर पंचायत के गृहकर की मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित था | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था | अतः गृहकर का मांग एवं संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार अभिलेख तैयार करना सुनिश्चित किया जाए |

7.2 मोबाइल टॉवर शुल्क ₹0.05 लाख की वसूली न करना :-

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 339/2023 दिनांक 14.12.2023 के प्रत्युत्तर में यथा (**परिशिष्ट - ग)** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.23 को **निम्न विवरणानुसार** मोबाईल टॉवरों के स्थापना / नवीनीकरण शुल्क ₹**5000/-** वसूली हेतु शेष थी, जिसे सूचना प्रोद्योगिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या DIT.Dev-(IT)2005(Misc.)-96 दिनांक 21/06/2017 व Right of way policy – 2021 से सम्बन्धित अधिसूचना संख्या: DIT-FOS(23)/1/2017-I.T. Section –GOHP, दिनांक 09.02.2021 के अनुसार वसूल किया जाना अपेक्षित है। अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वसूली हेतु कोई भी ठोस कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी | अत: मोबाईल टावरों के स्थापना / नवीनीकरण शुल्क की राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

क्रम संख्या	**कम्पनी का नाम**	**दिनांक 31.03.23 तक वसूली योग्य राशि (₹)**
1)	Airtel 1	5000
	कुल योग	**5000**

7.3 विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹0.09 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200/- प्रति शुल्क तथा देरी के लिए दुगनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है जिसे समय-

समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0235-00-800-03 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि ₹9400/- को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :-

क्रम संख्या	**वित्तीय वर्ष**	**विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि (₹)**
1	2021-22	3800
2	2022-23	5600
	योग	**9400/-**

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 344/2023 दिनांक 16.12.2023 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 196 दिनांक 18/12/2023 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा। अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई सम्पूर्ण राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

7.4 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹0.01 लाख की कम वसूली करना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200/- प्रति शुल्क तथा देरी के लिए दुगनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है जिसे समय-समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0235-00-800-03 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान **निम्न वर्णित** मामलों में विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में निर्धारित दरों से ₹1400/- की कम वसूली गई थी।

क्रम संख्या	नाम	रसीद संख्या	दिनांक	वसूली योग्य राशि (₹)	वसूली गई राशि (₹)	कम वसूली गई राशि (₹)
1	Arun Kapila	162303	26/11/2021	400	200	200
2	Nitin Sharma	162306	03/01/2022	400	200	200
3	Navdeep Singh	162312	28/02/2022	400	200	200
4	Shubham Kapila	162313	02/03/2022	400	200	200
5	Mukul Verma	162321	16/08/2022	400	200	200
6	Gourav Atri	162322	16/08/2022	400	200	200
7	Naresh Kumar	162324	20/09/2022	400	200	200
					Total	**1400/-**

अतः इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 345/2023 दिनांक 16.12.2023 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 197 दिनांक 18/12/2023 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में कम वसूली गई राशि की वसूली करके राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा। अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में कम वसूली गई सम्पूर्ण राशि की वसूली उपरांत राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

8.1 स्त्रोत पर 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करने के कारण ₹0.35 लाख का अधिक भुगतान करना :-

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि.प्र. आवकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part(278/25)-29056 दिनांक 29/09/2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति / फर्म / संस्था / स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local authority / Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एक वित्तीय वर्ष में ₹250000/- से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1% सी.जी.एस.टी. + 1% एस.जी.एस.टी.-अन्तर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% आई.जी.एस.टी.-अंतर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है | परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 में **निम्नानुसार** आपूर्तिकर्ताओं को सामग्री की आपूर्ति के लिए ₹1751069.2/- (जी.एस.टी. को छोडकर) भुगतान किया गया था | लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा चयनित मासों के दौरान स्त्रोत पर **₹35022/-** की जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में कटौती नहीं की गई थी जोकि नियमानुसार अनुचित प्रक्रिया है |

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	फर्म का नाम	वाउचर संख्या व दिनांक	बिल संख्या व दिनांक	सामग्री का नाम	मूल राशि (कीमत)	कटौती योग्य जी.एस.टी. टी.डी.एस. की राशि (2%)
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	Smartenviro Systems pvt. Ltd. Pune	137 13/01/22	SES-M/21-22/131 24/09/21	Automatic Composter	593331.00	11867
2	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	M.S.ENTERPRISES HOSHIARPUR	46 to 49 17/06/22	शून्य 26/05/22, 03/06/22, 30/05/22 व 01/06/22	GI Pipe, Aluminum cable, pole, copper wire etc	1157738.20	23155
						योग	**35022/-**

अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 346/2023 दिनांक 18/12/2023 के प्रत्युत्तर में अपने पत्र संख्या 198 दिनांक 18/12/2023 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित ₹35022/- जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती बिलों में से नहीं की गई है जिसे भविष्य में नियमानुसार काटा जाएगा | उत्तर संतोषजनक नहीं है। अत: जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करने को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा राशि की वसूली सम्बन्धित फर्मो / व्यक्तियों से करने उपरान्त सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जाए। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.2 आपूर्तिकर्ता के बिलों से ₹0.05 लाख रॉयल्टी की कटौती न करना :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास "फार्म डब्लू" या सप्लीमेंटरी पास "फार्म एक्स" उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वित्तीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा |

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 01/2022 के व्यय वाउचरों की जाँच दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री जैसे पत्थर,रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए | परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को **सलंग्न परिशिष्ट "घ" अनुसार** ₹4588/- का अनियमित भुगतान किया गया | इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 347/2023 दिनांक 18/12/2023 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 199 दिनांक 18/12/2023 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त बिलों में से रॉयल्टी की कटौती नहीं की गई है जिसे भविष्य में रॉयल्टी नियमानुसार काटी जाएगी अथवा ट्रांजिट पास फार्म लिया जाएगा | उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ट्रांजिट पास की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री का भुगतान रॉयल्टी की कटौती 25% पेनल्टी सहित करने के पश्चात किया जाना अपेक्षित था |

अत: ₹4588/- के अनियमित भुगतान को या तो न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हिमाचल प्रदेश सरकार के आय लेखा शीर्षक: "0853-Non Ferrous Mining and Metallurgical Industries, 102-Mineral Concession Fees and

Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

9 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 340/2023 दिनांक 14.12.2023 द्वारा पंचायत सचिव से निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की, जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अंतर्गत बनाया जाना वांछित था । प्रतिउत्तर में सचिव, द्वारा अपने पत्र संख्या 194 दिनांक 18/12/2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्टरों / अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है । यह अनियमित व आपत्तिजनक है | अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

क्रम संख्या	रजिस्टर / अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
3	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	बजट प्राकलन	11	37
5	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
6	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(1)
7	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
8	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
9	बैंक समाधान विवरणी	--	7 (3) व 10 (1)
10	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	--	103

10 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 339/2023 दिनांक 14.12.2023 के क्रम संख्या 8 की अनुपालना में अपने पत्र संख्या 193 दिनांक 18/12/2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया

गया कि अंकेक्षण अवधि 04/21 से 03/23 तक स्टोर / स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है | अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर आगामी अंकेक्षण पर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

11 **लघु आपत्ति विवरणिका:-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया है |

12 **निष्कर्ष:-** लेखाओं में सुधार की आवश्यकता है |

07 FEB 2024

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

694 – 698

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(5)93 / 2024–खण्ड–1 दिनॉक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी ऊना, जिला ऊना, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत अजौली, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

07 FEB 2024

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

पैरा संख्या '५' में सन्दर्भित परिशिष्ट 'क'

ग्राम पंचायत अजौली, विकास खण्ड व जिला ऊना

संकलित वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2023 तक

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2021-22	1680606.61	8185662.71	9866269.32	5583445.61	4282823.71
2	2022-23	4282823.71	4182450	8465273.71	5940394	2524879.71

सचिव
ग्राम पंचायत अजौली
विकास खण्ड ऊना, (हि0प्र0)

स्वयं स्त्रोत एवं अनुदान (15वां वित्तायोग सहित समेकित) Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2023 तक						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2021-22	1680606.61	7770606.71	9451213.32	5168389.61	4282823.71
2	2022-23	4282823.71	4037386	8320209.71	5795330	2524879.71

मनरेगा (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2023 तक						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2021-22	0	415056	415056	415056	0
2	2022-23	0	145064	145064	145064	0

सचिव
ग्राम पंचायत अजौली
विकास खण्ड ऊना, (हि0प्र0)

1)	दिनांक 31.03.23 को रोकड़ बही खाता पैरा 4(1) का अंतशेष	2524879.71
2)	दिनांक 31.03.23 को बैंक का अन्तशेष	**2534787.00**
3)	दिनांक 31.03.23 को हस्तगत राशि	0.00
4)	**योग (2+3)**	**2534787.00**
5)	**अन्तर (4-1)**	**9907.29**

सचिव
ग्राम पंचायत अजौली
विकास खण्ड ऊना, (हि०

परिशिष्ट क-1

दिनांक 31.03.23 को बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1	KCCB Ajouli (own & GIA)	20114027720	457364.00
	KCCB Ajouli (GIA)	50051658082	530844.00
	KCCB Ajouli	20114013648	17372.00
	KCCB Ajouli (MMAY)	50065673424	1420.00
	UNION BANK Ajouli (14th Fc)	538502010014272	914.00
	UNION BANK Ajouli (15th FC)	538502050000394	1464349.00
	UNION BANK Ajouli (BMC)	538502050000349	62524.00
		योग	**2534787.00**
2		**हस्तगत राशि**	0.00
		योग (1+2)	**2534787.00**

सचिव
ग्राम पंचायत अजौली
विकास खण्ड ऊना, (हि०प्र०)

पैरा संख्या 7.1(क)में संदर्भित परिशिष्ट "ख"

ग्राम पंचायत अजौली, विकास खण्ड ऊना जिला ऊना हि.प्र.

दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2023 तक गृहकर की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2021-22	131160	24480	155640	151380	4260
2022-23	4260	24880	29140	20140	9000

सचिव
ग्राम पंचायत अजौली
विकास खण्ड ऊना, (हि.प्र.)

पैरा संख्या 7.2 में सन्दर्भित परिशिष्ट 'ग'

Statement of outstanding Balance of Mobile Towers as on 31.03.2023

Year	Tower company / No. of tower	Opening Balance (₹)	Demand During the Year (₹)		Total	Receipts during the year (₹)	Closing Balance (₹)
			Application fee	Annual / Renewal fee			
2021-22	Airtel 1	00	00	5000	5000	00	5000
2022-23	Airtel 1	5000	00	00	5000	00	5000

Note: - Annual Demand for 2022-23 is nil due to the clause 6 (G) of chapter 2 of right of way policy, 2021 notified by I.T Department Government of Himachal Pradesh vide Notification No. I.T (F)1-1/2020 dated 09-02-2021. There is only provision of clearing all the outstanding Urban Department Tax or any other dues payable upon the land and building applied for installation of telegraph infrastructure it is also certified that no Mobile Tower has been installed on the land of Gram Panchayat.

सचिव
ग्राम पंचायत अजौली
विकास खण्ड ऊना, (हि०प्र०)

पैरा संख्या 8.2 में सन्दर्भित परिशिष्ट 'ध'

ग्राम पंचायत अजौली, विकास खंड व जिला ऊना हि.प्र.

क्र०स०	योजना	वाउचर संख्या व माह	कार्य का नाम	बिल स०/ दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	मात्रा (क्यूबिक मीटर)	कन्वर्जन फैक्टर	मात्रा (टनो में)	रायल्टी दर (प्रति टन)	देय रायल्टी
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	144 01/2022	C/o Park in ward no. 2	115 16/06/2021	Ranjeet Singh Building Material Ajouli	रेत	28.32	1.62	45.878	80	3670.272
										योग	3670.272
										पेनल्टी 25 प्रतिशत	917.568
										कुल योग	4587.84

सचिव
ग्राम पंचायत अजौली
विकास खण्ड ऊना, (हि०प्र०)